कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1084/11–सी–FP/UP/Road/59458/2020, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 29 ,2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0–0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुद्धढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–208/81–2–2021–80(151)/2021, दिनांक 27.09.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 194 वृक्षों/पौधों का पातन सेन्चुरी क्षेत्र से आच्छादित है, के संबंध में सेन्चुरी क्षेत्र से आच्छादित क्षेत्र की अनापत्ति प्रमाण–पत्र/प्रगति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–813/26–11, दिनांक 10.09.2021 द्वारा सेन्चुरी क्षेत्र से आच्छादित क्षेत्र की उ0प्र0 राज्य वन्यजीव बोर्ड से अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1084 /11–सी–FP/UP/Road/59458/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-245

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 813, /26–11 (पटवध–वसुहारी रोड, 59458), लखनऊ:दिनांक सितम्बर 10 ,2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
(अनुभाग–4),
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः– जनपद सोनभद्र, तहसील–राबर्ट्सगंज में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत पटवध–वसुहारी मार्ग के कि0मी0 0.000 से 61.500 तक सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित परियोजना में संरक्षित क्षेत्र की प्रभावित होने वाली 10.620 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 7.380 हे0 गैर वन भूमि कुल 18.000 हे0 क्षेत्र के गैर वानिकी कार्य के प्रयोगार्थ भारत सरकार, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति, से वन्य जीव क्लीयरेन्स हेतु अधिशाषी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए प्रपोजल संख्या–FP/UP/ROAD/59458/2020 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर का पत्रसंख्या–184/26–11, दिनांक 26.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशाषी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र, तहसील–राबर्ट्सगंज में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत पटवध–वसुहारी मार्ग के कि0मी0 0.000 से 61.500 तक सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित परियोजना में संरक्षित क्षेत्र की प्रभावित होने वाली 10.620 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 7.380 हे0 गैर वन भूमि कुल 18.000 हे0 क्षेत्र के गैर वानिकी कार्य के प्रयोगार्थ वन्य जीव क्लीयरेन्स/अनापत्ति के सम्बन्ध में ऑनलाइन अपलोडेड प्रस्ताव पर प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्रांक–143/33–1 दिनांक 17.07.2021 द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर ने उक्त संशोधित प्रस्ताव/आख्या को अपनी संस्तुति सहित मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर द्वारा प्रेषित प्रश्नगत प्रस्ताव के अनुसार विषयक परियोजना के सन्दर्भ में कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई अपेक्षित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

S. No	Description	Route Length in (km)	Width (Row) (Mtr)	Area in Ha			Trees	
				Forest	Non Forest	Total	Effected	To be felled
1	Project area Within Kaimur Wildlife Sanctuary	16.8419	9	9.4722	5.6855	15.1577	89	89
2	Project area within ESZ of Kaimur WLS	3.1581	9	1.1478	1.6945	2.8423	105	105
	Total Project Area	**20.0000**	9	**10.6200**	**7.3800**	**18.0000**	**194**	**194**

उल्लेखनीय है कि विषयक परियोजना का कार्य स्थल संरक्षित क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के फलस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रसंख्या– F.No.6-10/2011WL, दिनांक 19.12.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वन्य जीव क्लीयरेन्स लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रश्नगत प्रस्ताव पर उ0प्र0 राज्य वन्य जीव बोर्ड की संस्तुति उपरान्त भारत सरकार, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति, से वन्य जीव क्लीयरेन्स हेतु अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त किया जाना है।

उक्त हेतु आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र–I, II, III & IV में ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल में संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः शासन से अनुरोध है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर उ0प्र0 राज्य वन्य जीव बोर्ड से वांछित अनुमोदन प्राप्त करने हेतु वांछित अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः प्रस्ताव मूल में।

Ad.S.O.
18
SCF nodal
A.O.
13/09/21

भवदीय,

(पवन कुमार शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 813 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
4– अधिशाषी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

(पवन कुमार शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।